बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC-567

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण), नार्थ इस्टर्न रेलवे,
मुख्यालय, गोरखपुर

पटना 14, दिनांक– 05/08/201

विषय – सीवान जिलान्तर्गत महाराजगंज–मशरक रेल लाईन पर NH-101 छपरा–सलेमपुर पथ बडकागाँव–बसंतपुर के बीच प्रस्तावित ROB निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.361 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग – आपका कार्यालय पत्रांक W/Con/247/ROB-101/Tree Cutting दिनांक 10.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Rail/21907/2016/2990 दिनांक 06.03.2019 द्वारा विषयाधीन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी थी।

सैद्धान्तिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्त्तों के अनुपालन का अनुरोध इस कार्यालय के पत्रांक FC-219 दिनांक 13.03.2019 द्वारा किया गया था जिसमें परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये NPV एवं CA मद की कुल राशि रू० 27,86,986/– (रूपये सताईस लाख छियासी हजार नौ सौ छियासी) मात्र का मांग भी सन्निहित था।

आपके कार्यालय पत्रांक W/Con/247/ROB-101/Tree Cutting दिनांक 10.07.2019 द्वारा सैद्धान्तिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराई गयी है जिसमें NPV एवं CA मद में मांग की गयी राशि रू० 27,86,986/– मात्र के विरूद्ध कुल रूपये 27,85,820 जमा कराने की सूचना दी गयी है जो मांग की गयी राशि से रूपये 1,166/– कम है।

अवशेष राशि रू० 1,166/– (रूपये एक हजार एक सौ छियासठ) मात्र को मंत्रालय के वेव–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर जमा कराई जाय।

इस बीच पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 655 (ई०) दिनांक 03.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्ष पातन पर रोक लगाई गयी है। विषयाधीन परियोजना निर्माण के क्रम में 117 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है।

अतः अनुरोध है कि अवशेष राशि रू० 1,166/– मात्र को Bihar CAMPA account में जमा कराते हुए वृक्षों को बचाने हेतु परियोजना निर्माण के Design में परिवर्त्तन किया जाय अथवा परियोजना निर्माण स्थल से वृक्ष हटाना आवश्यक हो, तो वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के निर्देशन में वृक्षों को Translocate किये जाने का प्रस्ताव समर्पित की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC-567 दिनांक– 05/08/2019

प्रतिलिपि– वन संरक्षक सीवान अंचल, सीवान को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.08

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।